

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

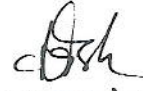
क्रमांक :- एफ.4 (ई) (373/88)/अलेसे-III/10470-475

दिनांक :- 10-12-13

कार्यालय आदेश

श्री विनीत पानगड़िया, कनिष्ठ लेखाकार (373/88) कार्यालय कोषालय, भीलवाड़ा ने अपने आवेदन पत्र दिनांक 27.08.2013 के द्वारा दिनांक 03.01.2014 से स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति जारी करने का अनुरोध किया है।

श्री विनीत पानगड़िया, कनिष्ठ लेखाकार की जन्म तिथि 03.06.1965 तथा राजकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 07.05.1990 एवं कनिष्ठ लेखाकार के पद पर प्रथम कार्यग्रहण दिनांक 07.05.1990 है। इस प्रकार श्री विनीत पानगड़िया, कनिष्ठ लेखाकार स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति की सभी शर्तें पूर्ण करते हैं। अतः राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 50 (1) के अन्तर्गत श्री विनीत पानगड़िया, कनिष्ठ लेखाकार को दिनांक 03.01.2014 से स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री विनीत पानगड़िया, कनिष्ठ लेखाकार के विरुद्ध सीसीए नियमों में कोई विभागीय जांच लम्बित नहीं है।


(वीरबाला जोशी)
निदेशक

क्रमांक :- एफ.4 (ई) (373/88)/अलेसे-III/10470-475

दिनांक :- 10-12-13

प्रतिलिपि निम्नांकित को सचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. कोषाधिकारी, भीलवाड़ा।
3. श्री विनीत पानगड़िया, कनिष्ठ लेखाकार, कोषालय, भीलवाड़ा।
4. गोपनीय शाखा, जांच शाखा, विधि शाखा।
5. निजी सहायक, निदेशक महोदया।
6. कम्प्यूटर शाखा (वेबसाईट हेतु)।
7. पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट/रक्षित पत्रावली।


(महेन्द्र सिंह भूकर)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)